परिपत्र सं. 01/2026

फा.सं.300173/26/2026-आईटीए-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (कग) के उप-खंड (i) के तहत प्रपत्र सं. 10क दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने की शक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।

आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") की धारा 12क, आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धाराओं 11 और 12 के लागू होने की शर्तें निर्धारित करती है।

2. धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (कग) के उप-खंड (i) के अनुसार, पंजीकरण की प्रार्थना करने वाले किसी न्यास या संस्था को निर्धारित समय के भीतर प्रपत्र सं. 10क में एक आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था।

3. 01.10.2024 से प्रभावी, अधिनियम की धारा 12क(1)(कग) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया गया, जो आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को विलंब माफ करने की शक्तियाँ प्रदान करता है:

> **"12क.** (1) धारा 11 और धारा 12 के प्रावधान किसी भी न्यास या संस्था की आय के संबंध में तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हो जाएं, अर्थात्:-
> .....
> .....

"[**परंतु,** जहाँ आवेदन उप-खंड (i) से (vi) में अनुमत समय सीमा के बाद दाखिल किया जाता है, वहाँ प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब का कोई उचित कारण है, तो ऐसे विलंब को माफ कर सकते हैं और ऐसे आवेदन को समय सीमा के भीतर ही दाखिल किया गया माना जाएगा;]"

3.1 हालाँकि, आयकर नियम, 1962 के नियम 17क(5) के अनुसार, अधिसूचना एस.ओ. 1443(ङ) [सं. 30/2021/फा. सं. 370142/4/2021-टीपीएल] दिनांक 01.04.2021, जिसके बाद अधिसूचना एस.ओ. 2161(ङ) [सं. 52/2022/फा. सं. 370142/4/2021-टीपीएल] दिनांक 09-05-2022 के साथ पढ़ा जाए, आयकर निदेशक (केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र), बेंगलुरु ही अधिनियम की धारा 12क(1)(कग)(i) के तहत प्रपत्र 10क में आवेदन पर पंजीकरण जारी करने के लिए वैधानिक प्राधिकारी बने रहेंगे।

3.2 बोर्ड को संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि यह स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि क्या अधिनियम की धारा 12क(1)(कग)(i) के तहत पंजीकरण के लिए प्रपत्र 10क में आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने के क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारी प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त **या** आयकर निदेशक (केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र), बेंगलुरु होंगे।

4. बोर्ड ने इस मामले की जांच की है। पात्र न्यासों या संस्थाओं को होने वाली वास्तविक कठिनाई से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र न्यासों या संस्थाओं को केवल प्रपत्र सं. 10क दाखिल करने में हुए विलंब के कारण पंजीकरण के लाभ से वंचित न किया जाए, बोर्ड, अधिनियम की धारा 119(2)(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा स्पष्ट करता है कि **क्षेत्राधिकार** वाले **प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त** के पास, अधिनियम की धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (कग) के उप-खंड (i) के तहत, प्रपत्र सं. 10क दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने की शक्तियां होंगी।

5. यह परिपत्र उन सभी मामलों पर लागू होगा, जिनमें प्रपत्र सं. 10क निर्धारित समय सीमा के बाद दाखिल किया गया है और विलंब के लिए आवेदन लंबित है, या इस परिपत्र के जारी होने की तारीख को या उसके बाद दाखिल किया गया है।

हरदेव सिंह
अवर सचिव (आईटीए-I), सीबीडीटी

प्रतिलिपि:

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/वित्त मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी/राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (वित्त) के विशेष कार्य अधिकारी
2. सचिव (राजस्व) के व्यक्तिगत निजी सचिव
3. अध्यक्ष, सीबीडीटी और सभी सदस्य, सीबीडीटी
4. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक,
5. आयकर महानिदेशक (प्रणाली), दिल्ली और बेंगलुरु - प्रणाली में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ,
6. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली
7. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
8. वेब प्रबंधक, डीजीआईटी (प्रणाली) के कार्यालय को- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
9. आयकर आयुक्त (मीडिया और टीपी) और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी, नई दिल्ली
10. महासचिव, आईआरएस संगठन/महासचिव, आईटीजीओए/अखिल भारतीय आयकर एससी और एसटी कर्मचारी कल्याण संगठन/आयकर कर्मचारी महासंघ (आईटीईएफ)
11. अपर सीआईटी, डेटा-बेस प्रकोष्ठ को www.irsofficersonline.org पर अपलोड करने हेतु।

हरदेव सिंह
अवर सचिव (आईटीए-I), सीबीडीटी